उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/551/ जबलपुर, दिनांक 14 / 02 / 2019
दो–13–22 / 18

श्री अरुण कुमार सोनी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, इंदौर के विरूद्ध रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी / 3783 / दो–13–22 / 18 जबलपुर दिनांक 24.07.2018 द्वारा विभागीय जांच की गई। विभागीय जांच में जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 01.10.2018 में आपको दिनांक 05.04.2018 को अत्यधिक नशे की हालत में उपस्थित होने, बिना अनुमति के कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा नशे की हालत में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इंदौर के कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी से अभद्रता तथा अवांछनीय वार्तालाप करने के समस्त आरोप सिद्ध पाये गये। जांच रिपोर्ट उपरांत आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब दस्तावेज परीक्षण कर और विचार करने के उपरांत जांच निष्कर्षो से सहमत होते हुये आपके विरूद्ध घोर कदाचरण प्रमाणित होने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1976 के नियम 13 (सात) के अंतर्गत "सेवा से हटाया जाना" (Removal from service) जो कि भावी नियोजन के लिये अनर्हता न होगी" की शास्ति से दंडित किया जाता है।

14/2/19
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/552/ जबलपुर, दिनांक 14 / 02 / 2019
दो–13–22 / 18

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
2. रजिस्ट्रार प्रशासन / आई. एल. / न्यायिक 1 एव 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय इंदौर, म.प्र.,
4. ओ.एस.डी. सैट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. डिप्टी रजिस्ट्रार, ..., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्था. / लेखा / बजट / पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक स्था. / सेवापुस्तिका / वेतनपत्रक / प्रोटोकॉल / डी.पी.एफ. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
12. श्री अरुण कुमार सोनी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, इंदौर की ओर विस्तृत आदेश दिनांक 11.02.2019 की छायाप्रति सहित,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (आई.एल.)

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/553/ जबलपुर, दिनांक 14/02/2019

श्री सुनील राय, निलंबित सहायक ग्रेड–तीन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के विरूद्ध रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/2998/दो–14–101/16, जबलपुर दिनांक 14.07.2017 द्वारा दिनांक 17.09.2016 से 07.10.2016 (21 दिवस) हेतु प्रस्तुत अर्जित अवकाश के आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरगी, जबलपुर का फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, कार्यालय को गुमराह करने एवं प्रकरण पंजीबद्ध होने की जानकारी छिपाने तथा निर्धारित नियमों की अवहेलना कारित करने के आरोपों पर विभागीय जॉच की गई।

विभागीय जांच में जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट दिनांक 09.10.2017 उपरांत प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर विचारोपरांत जॉचकर्ता अधिकारी की रिपोर्ट में आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने की जानकारी छिपाने तथा निर्धारित नियमों की अवहेलना कारित करने का आरोप स्वीकार योग्य न पाये जाने से जांचकर्ता अधिकारी द्वारा आरोप पद क्रमांक–2 के संबंध में दिये गये निष्कर्ष से असहमत होते हुये एवं दिनांक 17.09.2016 से 07.10.2016 (21 दिवस) हेतु प्रस्तुत अर्जित अवकाश के आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरगी, जबलपुर का फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, कार्यालय को गुमराह करने का आरोप पद क्रमांक 01 सिद्ध पाये जाने के संबंध में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये निष्कर्ष से सहमत होते हुये आपके विरूद्ध घोर कदाचार प्रमाणित होने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्ते (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम, 1996 के नियम 20(a) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (viii) **"सेवा से हटाया जाना, जो कि शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता न होगी (Removal from service which shall not be disqualification for future employment under the Government)"** के दंड से दंडित किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार

14/2/19

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
Par रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/554 जबलपुर, दिनांक 14/02/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एव 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
4. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर आदेश को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. डिप्टी रजिस्ट्रार....., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
9. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर
10. सहायक स्था./सेवापुस्तिका/अवकाश/वेतनपत्रक/डी.पी.एफ. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
12. आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर
13. श्री सुनील राय, निलंबित सहायक ग्रेड–तीन, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, म.प्र. की ओर विस्तृत आदेश दिनांक 12.02.2019 की छायाप्रति सहित

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (आई.एल.)
Par